राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 592 / 2024

डॉ. चन्दन वर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–ा) विभाग, राजस्थान जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक आचार्य के पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.11.2019 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर से कोटा स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी का पुनः जयपुर में स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी का बीकानेर में स्थानान्तरण किया गया एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पुनः जयपुर में स्थानान्तरण किया गया जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2022 को कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक–5, 6 व 7)। अपीलार्थी वर्तमान में प्रोफेसर (औषध) के पद पर चिकित्सा कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से चिकित्सा कॉलेज, जिला कोटा में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने उद्देश्य से मात्र 4 माह की अल्पावधि में किया गया था। अपीलार्थी एकल

महिला हैं जो अपने पिता के साथ रहती है। अपीलार्थी के पिता वृद्ध है। जिनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रोफेसर (औषध) के पद पर चिकित्सा कॉलेज, जयपुर में समस्त वेतन– भुगतान के सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रोफेसर (औषध) के पद पर चिकित्सा कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से चिकित्सा कॉलेज, जिला कोटा में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है

5. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 446/2024 अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है तथा
7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य